ऑन लाईन नं. GCMS 2022/84

न्यायालय : न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : डा. हरीतिमा, आर.ए.एस.

न्याय निर्णयन आवेदन सं0 10/2022

श्री लक्ष्मीकान्त गुप्ता, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यलय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर

बनाम

1. श्री हर्षवर्धन गुप्ता पुत्र श्री श्रीरामप्रकाश अग्रवाल जाति अग्रवाल निवासी 49बी ब्लॉक, श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर।
2. किरण गुप्ता पत्नी श्री हर्षवर्धन गुप्ता, (विक्रेता एवं मालिक)
   मैसर्स :– बुडाकिया किराना मर्चेन्ट, शॉप नम्बर 87, तह. बाजार, श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर।

अपराध अ0 धारा 26 उपधारा 2(ii)खाद्य सुरक्षा
एवं मानक अधिनियम, 2006 नियम 2011

निर्णय दिनांक : 18.05.2022

सक्षेंप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री लक्ष्मीकान्त गुप्ता दिनांक 26.10.2020 से कार्यालय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर का कार्य सम्पादन कर रहे है। राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित गजट नोटिफिकेशन के अनुसार खाद्य सरुक्षा अधिकारी, नियुक्त किया गया है। आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान जयपुर के आदेश दिनांक 26.10.2020 के अनुसार उन्हें कार्य क्षेत्र मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर आवंटित किया गया है। श्रीगंगानगर कार्यालय के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र उनके कार्य क्षेत्र में बताये है।

श्री लक्ष्मीकांत गुप्ता, खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 20.08.2021 को दोपहर बाद 2.00 पीएम पर दौराने निरीक्षणार्थ विक्रेता एवं मालिक श्री हर्षवर्धन गुप्ता पुत्र श्री श्रीरामप्रकाश अग्रवाल जाति अग्रवाल निवासी 49बी ब्लॉक, श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर, मैसर्स बुडाकिया किराना मर्चेन्ट, शॉप नम्बर 87, तह. बाजार, श्रीकरनपुर जिला,श्रीगंगानगर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान दुकान/ संस्थान पर मालिक श्री हर्षवर्धन गुप्ता पुत्र श्री श्रीरामप्रकाश अग्रवाल जाति अग्रवाल निवासी 49बी ब्लॉक, श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर, कारोबार कर रहा था, जिसका विकेता होना बताया को, अपना परिचय देकर व परिचय पत्र दिखाकर उससे खाद्य अनुज्ञापत्र दिखाने को कहा तो उसने खाद्य अनुज्ञापत्र मौके पर दिया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर निरीक्षणार्थ निर्माण ईकाई पर **सरसों तेल गनिका ब्राण्ड** के 500–500 लीटर की 40 बोतले पैक पेट बोतले, मौके पर विकय हेतु रखी थी। शुद्धता की जांच हेतु उसमें से 04 पैक बोतले पैक पेट बोतले, नमूने वास्ते लिये। विक्रेता एवं मालिक को मौके पर फार्म नम्बर 5ए की प्रति नमूना सूचनार्थ तैयार कर गवाहन व स्वयं के हस्ताक्षर कर विक्रेता के हस्ताक्षर करवा के फार्म संख्या 5 ए की एक प्रति मौके पर मालिक विकेता दी और खरीद प्राप्ति रसीद ली जो सलंग्न है। तत्पश्चात **सरसों तेल गनिका ब्राण्ड** के 500–500

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) * श्रीगंगानगर (राज.) *

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

लीटर की 4 बोतले पैक पेट बोतले, खादय पदार्थ लिये, जिसके पेटे 360/–रूपये नगद देकर गवाहन व स्वयं के हस्ताक्षर कर, विक्रेता के हस्ताक्षर कर रसीद प्राप्त की जो सलंग्न है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी, ने खरीदशुदा **सरसों तेल गनिका ब्राण्ड** के कुल 4 बोतले खादर्य पदार्थ नमूनें वास्ते लिये, जिसको मूल 4 बोतलों को प्रत्येक को लेबल तैयार कर प्रत्येक नमुना पर लेबल चिपकाए एवं लेबलों पर डीओ कोड एवं सिरीयल **नम्बर के–1181** दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहन के हस्ताक्षर कराये और जार को अलग–अलग खाकी कागज में लेपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ गंगानगर की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप **के–1181** नियमानुसार चारो नमूनो पर नीचे से उपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को पेपर स्लीप उपर धागे से बांधकर नियमानुसार चार–चार जगह ब्रास सील से मोहर चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहन के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर हस्ताक्षर करवाये एवं स्वयं ने खाद्य पदार्थ का विवरण **के–1181 सरसों तेल गनिका ब्राण्ड** लिखकर हस्ताक्षर कियें एवं स्वयं ने हस्ताक्षर किये। चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया। मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की, जिसे खाद्य कारोबारकर्त्ता हर्षवर्धन गुप्ता ने पढकर, समझकर हस्ताक्षर किये। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं 06 की आठ प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिसमें नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर किया। अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) ने नमूने का एक भाग एवं फार्म 6 का एक सील बन्द लिफाफा खाद्य विश्लेषक, बीकानेर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन सील बन्द नमूना भाग मय फार्म 6 का सील बन्द लिफाफा डी.ओ. कम सी.एम.एच.ओ. श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांक :–एलएस/276/एक्ट/2020/277 दिनांक 31.08.2021 को प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना **K-1181 Misbranded Food** होना पाया गया। इस पर अभिहीत अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्त श्री हर्षवर्धन गुप्ता पुत्र श्री श्रीरामप्रकाश अग्रवाल जाति अग्रवाल निवासी 49बी. ब्लॉक, श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर द्वारा अमानक स्तर **सरसों तेल गनिका ब्राण्ड** का विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 01.04.2022 को प्रस्तुत किया गया।

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अभियुक्त ने अपने जवाब में कथन किया है कि प्रार्थी 49 बी ब्लॉक, श्रीकरनपुर तहसील व जिला श्रीगंगानगर का रहने वाला है प्रार्थी मैसर्स बुडाकिया किराना मर्चेन्ट, शॉप नम्बर 87, तह. बाजार, श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर का मालिक है और प्रार्थी को आपके विभाग द्वारा एक नोटिस आपके पत्र कमांक 583/2022 दिनांक 05.04.2022 का दिया है कि आपकी दुकान की जांच की गई तो **सरसों तेल गनिका ब्राण्ड Misbranded Food** पाया गया है प्रार्थी ने उक्त **सरसों तेल गनिका ब्राण्ड** में सुधार कर लिया है भविष्य में प्रार्थी ऐसी गलती दौबारा नहीं करेगा। प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुये प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावें। प्रार्थी लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर अपना जुर्म स्वीकार करता है प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुए प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावें। आपकी अति कृपा होगी।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

परिवाद पर दोनों पक्षों को सुना गया।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया **Mirch Powder (Plain Poly Pack)** का सैम्पल **के–1212** जांच रिपोर्ट क्रमांकः–एलएस / 371 / एक्ट / 2021 / 366 दिनांक 29.10.2021 द्वारा **Sub-standard Food & Misbranded Food** होना पाया गया है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) का उल्लधन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है।

अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जवाब में वर्णित तथ्यों को ही बहस में दोहराते हुए कहा है कि अनवानी प्रकरण श्रीमान न्यायालय में विचाराधीन है। प्रार्थी गली नम्बर 10 रामदेव कॉलोनी श्रीगंगानगर तहसील वा जिला श्रीगंगानगर का रहने वाला है प्रार्थी मैसर्स बालाजी किराना स्टोर दुकान चहल चौंक रवि धर्मकांटा के सामने श्रीगंगानगर तहसील वा जिला श्रीगंगानगर का मालिक है और प्रार्थी को आपके विभाग द्वारा एक नोटिस आपके पत्र क्रमांक 622 / 2022 दिनांक 24.04.2022 का दिया है कि आपकी दुकान की जांच की गई तो मिर्च पाउडर **Misbranded Food** एण्ड **Sub-standard Food** पाया गया है प्रार्थी ने उक्त मिर्च पाउडर में सुधार कर लिया है भविष्य में प्रार्थी ऐसी गलती दौबारा नहीं करेगा। प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुये प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावें । प्रार्थी लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर अपना जुर्म स्वीकार करता है प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुए प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावें।

बहस पर मनन किया गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया।

इस प्रकार अभियुक्त से लिया गया Sample of " **Mustard Oil (Ganika)** "**Code No and Sr.No.. K-1181 of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Sri Ganganagar Misbranded food under section 3(1)(zf)(c)(i) of Food Safety and standards Act-2006** की जॉच रिपोर्ट पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

फलस्वरूप अभियुक्त हर्षवर्धन गुप्ता को एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत घटित अपराध का दोषी पाया जाता है। फलतः अभियुक्त हर्षवर्धन गुप्ता को खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 के अन्तर्गत राशि रूपये 5,000–00 (अखरे रूपये पांच हजार मात्र) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्त को यह निर्देश दिये जाते है कि भविष्य में " **Mustard Oil (Ganika)** "बनाने के लिए उच्च गुणवत्ता के घटकों का इस्तेमाल करें, ताकि ऐसे खाद्य पदार्थों से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इन आदेशों की पालना सख्ती से की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 18.05.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

(डा. हरीतिमा)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट(प्रशा0)
श्रीगंगानगर

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर